

**छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर 2005

7-16/2005/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27
(2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन,
उक्त अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत निम्नांकित संस्था / शाखा /
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल

पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे अधीन मैदानी
कार्यालय

पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा

मक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष आसूचना शाखा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(नन्द कुमार)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

उत्तीर्णार्थ साधन

साधन
7/12/11

अभिलेखन की 50 प्रतिष्ठा इस विभाग की उपलब्ध कराने का कर दे।
अथवा अभिलेखन को प्रकाशन उत्तीर्णार्थ साधन में करना सुनिश्चित कर, यदि
17. निम्नलिखित शीर्षक मुद्रणालय, साधनार्थी की ओर इस निवेदन के साथ कि
की ओर साधनार्थी एवं आवश्यकता का प्रदर्शन दे प्रेषित ।

14. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

13. साधन कर्तव्य,

12. साधन विभाग

11. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

10. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

9. साधन एवं साधनार्थी/साधनार्थी/साधनार्थी, साधनार्थी

8. साधनार्थी के लिए साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

7. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी/साधनार्थी

6. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

5. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

4. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

3. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

2. साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

कार्य एवं साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी

साधनार्थी -

साधनार्थी, साधनार्थी, साधनार्थी, 2005

साधनार्थी 7-16/2004/1/6

1/2/11